CHETANA
International Journal of Education
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))
Impact Factor
SJIF 2022 = 6.261

सम्पादकीय

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

लोकधन को समयबद्ध विनियोग करे, स्वधन से ज्यादा महत्वपूर्ण

*डॉ डी पी सिंह

सरकारी योजनाओं से लोक-कल्याण किया जाना अति-आवश्यक एवं आधारभूत कारण मानकर कार्य किया जाता है. चूँकि, यह लोकधन की संकल्पना पर आधारित है, अर्थात सरकारी योजनाओं में लगा हुआ धन हमारा अपना आम जनता का धन होता है. इस धन को सरकार का तंत्र जन-कल्याण के लिए टैक्स आदि के रूप में एकत्रित कर, कागजी तौर पर लोक-लुभावनी, तार्किक योजना बनाकर व्यय/विनियोग करते है. किन्तु बहुत बार इसे सम्भालने की जिम्मेदारी निभाने वाला तंत्र इसे पराया धन मानकर कार्य करने लगते है, तथा वही से जनता के गाढे पसीने की कमाई का धन उत्पादक अथवा लाभ देने वाला रहने की बजाय बर्बाद होने लगता है.

सरकार की सन 2005 में शुरू हुई महत्वपूर्ण योजना का जिक्र करना चाह रहे है, जिसे मूर्त रूप में 2015-2016 से स्वीकृति मिलने लगी है. योजना की संकल्पना परम्परागत कमजोर होते कारोबार को सम्बलन प्रदान करना है. क्योकि परम्परागत कारोबार ज्यादा लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखते है, अत उन्हें तकनीकी, प्रशिक्षण आदि प्रदान कर पुन स्थापित करना है. योजना में 90 प्रतिशत अनुदान के साथ अलग-अलग ईलाके में प्रचलित कारोबार को तलाश करके कलस्टर संकल्पन्ना पर प्रोजेक्ट स्थापित कर चयनित सहभागी कारीगरों द्वारा ही व्यापारिक संचालन किया जाना है.

प्रोजेक्ट के समयबद्ध शुरु होने को सुनिश्चित करने के लिए योजना में 50 प्रतिशत राशि अग्रिम देने तथा अग्रिम राशि के 70 प्रतिशत व्यय हो जाने पर ही उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का नियम बनाया गया, जिससे दूसरी किश्त जारी होने की कार्यालयी प्रक्रिया के समय के कारण कार्य नहीं रूकने की संकल्पना की गयी थी. किन्तु वास्तविक सन्दर्भ में जांचने पर इस योजना की राजकीय वेबसाइट एवं धरातलीय हकीकत कुछ दूसरी तस्वीर प्रस्तुत कर रही है.

योजना का डैशबोर्ड बताता है कि सरकार के एक मंत्रालय द्वारा 29 नोडल एजेंसीज एवं 100 से अधिक तकनीकी एजेंसीज के माध्यम से वर्तमान तक 498 कलस्टर को अनुमोदित किया जाकर 289705 कारीगरों के लाभ के लिए 142327 करोड़ व्यय किये जा चुके है, जिसमे राजकीय योगदान 129608.14 करोड़ रूपये एवं ग्रासरूट एनजीओ (कार्यकारी एजेंसीज) द्वारा योगदान किया गया है, जो कि ग्रासरूट पर काम करने वाले कई छोटे संगठनो द्वारा महंगी ब्याज दर पर बाजार/साहूकारों से ऋण लेकर, कई संस्थाओ के संचालको द्वारा अपनी महिलाओं के गहने गिरवी रख कर भी जुटाये गये है. राजस्थान प्रदेश में

स्वीकृत 34 प्रोजेक्ट्स के लिए 18248 कारीगरों के लिये 10255.58 करोड़ रूपये की परियोजना राशि की स्वीकृति के एवज में 9300.4 करोड़ रूपये भारत सरकार द्वारा प्रदान किये गये है. शेष राशि कार्यकारी एजेंसी द्वारा जमा की गयी है.

यदि इन कलस्टर के फंक्शनल/सक्रिय होने की चर्चा करे तो वित्तीय वर्ष 2022-2023 तक 154119 कारीगरों के लिये 69344.87 करोड़ रूपये की लागत के 267 कलस्टर कार्यालयी तोर पर सक्रिय हो सके है. जिनमे राजकीय धन 62177.56 करोड़ रूपये लगा हुआ है. इनकी वर्षवार स्थिति इस प्रकार है– 2015-16 – 29, 2016-17-32, 2017-18-02, 2018-19-40, 2019-20-112, 2020-21-41, 2021-22-10 कार्यालयी सक्रिय हो सके है. राजस्थान में कुल स्वीकृत 34 कलस्टर में से मात्र 10 कलस्टर ही कार्यालयी सक्रिय हुये है.

इसका अभिप्राय हुआ कि 289705 कारीगरों के लाभ के लिए 142327 करोड़ व्यय कर स्थापित 498 कलस्टर में से 231 कलस्टर अभी तक सक्रिय नहीं हो पाए है. जिन पर 72982.13 करोड़ रूपये व्यय हो चुके है तथा जिनसे 135586 कारीगरों को रोजगार मिल सकता था. राजस्थान में यह स्थिति और भी भयावह है, जहाँ स्वीकृत 34 कलस्टर में से मात्र 10 कलस्टर ही आज तक कार्यालयी सक्रिय हो सके है, जिनमें से भी कुछ कलस्टर उदघाटन की ओपचारिकता के लिए कार्य नहीं कर रहे है. राजस्थान में 10255.58 करोड़ रूपये की लागत से 25 जिलो में फैले 34 कलस्टर में से केवल 6459 कारीगरों के लिये 3300.64 करोड़ की लागत के मात्र 10 कलस्टर ही सक्रिय हो सके है, जबकि 11789 कारीगरों के लिए 6954.94 करोड़ की लागत लगे 24 कलस्टर के तैयार भवन, मशीन्स, उपकरण किसी-न-किसी कारण से धुल फांक रहे है. जोधपुर में 03, अजमेर, बांसवाडा, बाडमेर, गंगानगर, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, उदयपुर में 02-02, अलवर, बारा, भरतपुर, बीकानेर, चुरू, दौसा, हनुमानगढ़, जालोर, जैसलमेर, झालावाड, झुंझुनू, करौली, कोटा, नागौर, पाली, सीकर, टोंक में 01-01 कलस्टर स्वीकृत हुआ है.

राजकीय अर्थात जनता के धन से जन-कल्याण के निमित्त समर्पित योजना की गाईडलाइन में एक वर्ष में कलस्टर को सक्रिय करने की स्पष्ट लिखित व्यवस्था होने के बावजूद 2015-16 में स्वीकृत कई कलस्टर आज तक सक्रिय नहीं हो पाये है. यह सब के लिए कलस्टर की कार्यकारी एजेंसीज के स्तर पर जानकारी प्राप्त हुई कि तकनीकी संस्था एवं नोडल संस्था समय-समय पर होने वाली जरूरी बैठको में नहीं आती है, जरूरी रिपोर्ट्स प्रस्तुत नहीं करती है, जान-बूझकर उलटी-पुलटी रिपोर्ट देती है, जिसके लिए छुपे हुए भी अनेक कारण है, जो कि स्पष्ट बताने के लिए हिचक करते है.

इस प्रकार लम्बी अवधि तक जनता के धन से स्थापित हुए उपक्रम को सक्रिय नहीं करना, जनता के धन का उपयोग नहीं, दुरूपयोग/बर्बादी है. जिन कारीगरों को सपने दिखाकर सूचीबद्ध किया गया था, कोरोना काल में सपने देखते-देखते ही पथराई आँखों में गरीबी की बेबसी में महरूम हो गये. कार्यकारी एजेंसी से निर्माण का कार्य करने वाले ठेकेदार, मशीन्स-उपकरणों की सप्लाई देने वाले, कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले रोजाना की लड़ाई-फसाद, केस-मुकदमों की उलझने करने लगे है, कार्यकारी एजेंसी अपने रोजमर्रा के काम ठीक से कर पाने की बजाय साख बचाने के लिए संघर्ष में उलझ गयी है. कारीगरों के लिए सचमुच कलस्टर मृग-मरीचिका बन गये है.

मुख्य सवाल ये है कि हजारों करोड़ रूपये के भवन, मशीन्स, उपकरण आदि बिना उपयोग के धुल क्यों फांक रहे है, यह जनता के धन का दुरूपयोग करने का अधिकार इन तथाकथित जिम्मेदार अधिकारियों को किसने दिया है? आईये, हम सभी मिलकर लोकधन को स्वधन से ज्यादा कीमती एवं महत्वपूर्ण मानकर समयबद्ध विनियोग करने की आदत का राष्ट्र चरित्र विकसित कर महान भारत देश का विकास करें.

Dashboard Details

498
Number Of Approved Clusters (Till Date)

266
Number Of Functional Clusters (Till Date)

101
Number Of Approved Clusters In (2021-22)

15
Number Of Functional Clusters In (2022-23)

85
Total Number Of Proposals Under Examination Ministry Level

Corresponding Author
***डॉ. डी पी सिंह**
सदस्य, संपादक मंडल
चेतना इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशन (CIJE)
चकौली एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, धौलपुर
Email: echetana.com@gmail.com, Mob.: 9001005900